

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०

डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग_1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 अगस्त, 2019

श्रावण 16, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1466/79-वि-1—19-1(क)-10-19 लखनऊ, 7 अगस्त, 2019

अधिसूचना विविध

''मारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 जिससे सामान्य प्रशासन अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2019 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्म

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिस दिनांक को राज्य सरकार, गजट में, अधिसूचना द्वारा नियत करे। परिभाषाएं

- ' 2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-
 - (क) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कंपनी, फर्म, अन्य व्यक्ति निकाय या किसी व्यापार चिन्ह या डिजाइन को रिजस्ट्रीकृत करने या कोई पेटेंट प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से है;
 - (ख) ''संप्रतीक'' का तात्पर्य राज्य के शासकीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए अनुसूची में यथावर्णित और विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के संप्रतीक से है।

संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध 3-तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति संप्रतीक या उसकी किसी मिलती-जुलती नकल का, किसी ऐसी रीति, से जिससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि वह यथास्थिति सरकार से संबंधित है या यह कि वह राज्य सरकार का कोई शासकीय दस्तावेज है, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना प्रयोग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" के अंतर्गत राज्य सरकार का कोई पूर्व कृत्यकारी भी सम्मिलित है।

सदोष अभिलाभ के लिये संप्रतीक के प्रयोग का प्रतिषेध 4—कोई व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के नाम में या किसी व्यापारिक चिन्ह या डिजाइन में संप्रतीक का प्रयोग, ऐसे मामलों के सिवाय और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, नहीं करेगा।

कतिपय कंपनियों आदि के रजिस्ट्रीकरण का प्रतिषेध

- 5—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई सक्षम प्राधिकारी:—
 - (क) किसी ऐसे व्यापारिक चिन्ह या डिजाइन, जिस पर सप्रतीक हो, को रजिस्टर नहीं करेगा, या
 - (ख) किसी ऐसे आविष्कार जिसका ऐसा नाम हो, जिसमें संप्रतीक आ , जाता हो, के संबंध में कोई पेटेंट नहीं प्रदान करेगा।
- (2) यदि किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि कोई संप्रतीक अनुसूची में विनिर्दिष्ट संप्रतीक है या उसकी मिलती—जुलती नकल है, तो सक्षम प्राधिकारी उस प्रश्न को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने की राज्य सरकार की साधारण शक्तियां

- 6—(1) राज्य सरकार, ऐसी शासकीय मुद्रा में, जिसका राज्य सरकार तथा उसके संगठनों जिनमें विदेशी राजनयिक मिशन सम्मिलित हैं, के कार्यालयों में उपयोग किया जाता है, सप्रतीक के उपयोग को विनियमित करने के लिए ऐसे निर्बंधन और शर्तों जैसा कि विहित किया जाय, के अधीन रहते हुए नियमों द्वारा ऐसा उपबन्ध कर सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।
- (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को निम्नलिखित शक्तियां होंगी,—
 - (क) संवैधानिक प्राधिकारियों, मंत्रियों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा लेखन सामग्री पर संप्रतीक के प्रयोग, अर्धशासकीय लेखन सामग्री पर उसके मुद्रण या उत्कीर्णन की रीति को अधिसूचित करना;

(ख) संप्रतीक से मिलकर बनने वाले शासकीय मुद्रा की डिंजाइन को विनिर्दिष्ट करना;



- (ग) संवैधानिक प्राधिकारियों, विदेशी उच्च पदस्थों तथा राज्य सरकार के मंत्रियों के यानों पर संप्रतीक के संप्रदर्शन को निर्बंधित करनाः
- (घ) राज्य के लोक भवनों राजनयिक मिशनों पर और राज्य सरकार द्वारा अधिमुक्त भवनों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतो का उपबंध करना;
- (ङ) विभिन्न अन्य प्रयोजनों, जिनमें शैक्षिक प्रयोजनों हेतु और पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए प्रयोग सम्मिलित है, के लिए सप्रंतीक के प्रयोग हेतु शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
- (च) ऐसी सभी बातें (जिनमें संप्रतीक के डिजाइन का विनिर्देश और इसके प्रयोग की रीति चाहे जो हो, सम्मिलित है) करना जैसा कि राज्य सरकार, पूर्वगामी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।
- 7—(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, ऐसी अविध, जो दो वर्ष तक हो सकती है, के लिए या जुर्माने, जो, पाँच हजार रूपये तक का हो सकता है, से या दोनों से दंडनीय होगा अथवा यदि इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराये जाते हुए भी ऐसे किसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष किया जाता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से ऐसी अविध, जो छः मास से कम नहीं होगी, जो दो वर्ष तक हो सकती है, के लिए और जुर्माने, जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो, सदोष अभिलाम के लिए धारा 4 के उपबंध का उल्लंघन करेगा, ऐसे अपराध के लिए ऐसे कारावास से, ऐसी अवधि, जो छः मास से कम की नहीं होगी, जो दो वर्ष तक हो सकती है, के लिए और जुर्माने, जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

8—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, संस्थित नहीं किया जाएगा।

अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति

9—इस अधिनियम की किसी बात से किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों से, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकती हों, में छूट प्राप्त नहीं होगी। व्यावृत्तियां

10—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उपबंध, किसी अन्य अधिनियमिति या ऐसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के असम्बद्ध होते हुए भी प्रभावी होगा। अधिनियम का अध्यारोही प्रमाव होना

11—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली में निम्नलिखित सभी या किसी विषय का उपबंध हो सकता है, अर्थात:—
 - (क) धारा 4 के अधीन संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने वाले मामले और शर्ते;

- (ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार के शासकीय मुद्रा के संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने और उससे संबंधित निर्वंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिये नियमावली बनाना;
- (ग) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग, संप्रतीक वाली शासकीय मुद्रा का डिजाइन और अन्य विषय;
- (घ) धारा 8 के अधीन अभियोजन संस्थित करने के लिए पूर्व अनुमोदन देने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकारी को प्राधिकृत करना, और
- (ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसे विहित किया जाए।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

- 12—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक स्वरूप ऐसे अनुकूलनों जैसाकि वह आवश्यक एवं समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे।
- (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अविध के समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा!

अनुसूची

[धारा 2(ख) देखिए]

उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक

वर्णन और डिजाइन

उत्तर प्रदेश का राजकीय संप्रतीक प्रयागराज स्थित गंगा और यमुना नदियों के संगम, अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु मत्स्य मछली के युम्म और राज्य में स्थित अयोध्या में उत्पन्न हुए हिन्दू देवता राम का प्रतिनिधित्व करने हेतु धनुष एवं बाण का चित्रण करने वाले चक्राकार मुद्रा से निर्मित है।

उत्तर प्रदेश राज्य का संप्रतीक, परिशिष्ट एक या परिशिष्ट दो में दिये गये डिजाइन के अनुरूप होगा।

परिशिष्ट एक





परिशिष्ट दो





उद्देश्य और कारण



राज्य संप्रतीक का किसी लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड आदि पर प्रयोग किया जाना, राज्य सरकार की गरिमा तथा प्राधिकार का द्योतक है। यद्यपि राज्य सरकार के प्राधिकार के बिना राज्य संप्रतीक का प्रयोग करना अनुचित है, किन्तु इससे सम्बंधित राज्य में कोई विधि न होने के कारण राज्य संप्रतीक का अनिधकृत प्रयोग, दण्डनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

अतएव भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 50 सन् 2005) के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने हेतु एक विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 पुर स्थापित किया जाता है।

> आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह-II, प्रमुख सचिव।

No. 1466(2)/LXXIX-V-1-19-1(ka)10-19 Dated Lucknow, August 7, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ka Rajya Samprateek (Anuchit Prayog Ka Pratishedh) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 5, 2019. The Samanya Prashasan Anubhag is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE EMBLEM (PROHIBITION OF IMPROPER USE) ACT, 2019

(U.P. Act No. 15 of 2019)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ΑN

ACT

to prohibit the improper use of the State Emblem of Uttar Pradesh for professional and commercial purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Emblem (Prohibition of Improper Use) Act, 2019.

Short title, extent, application and commencement

- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint:

Definitions

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,-
- (a) "competent authority" means any authority competent under any law for the time being in force to register any company, firm, other body of persons or any trade mark or design or to grant a patent;
- (b) "emblem" means the Emblem of the State of Uttar Pradesh as described and specified in the Schedule to be used as an official seal of the State Government.

Prohibition of improper use of emblem 3. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, no person shall use the emblem or any colourable imitation thereof in any manner which tends to create an impression that it relates to the State Government or that it is an official document of the State Government, or as the case may be, the State Government, without the previous permission of the State Government or of such officer as may be authorised by it in this behalf.

Explanation.- For the purpose of this section, "person" includes a former functionary of the State Government.

Prohibition of use of emblem for wrongful gain 4. No person shall use the emblem for the purpose of any trade, business, calling or profession or in the title of any patent, or in any trade mark or design, except in such cases and under such conditions as may be prescribed.

Prohibition of registration of certain companies,

- 5. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no competent authority shall,-
 - (a) register a trade mark or design which bears the emblem; or
- (b) grant patent in respect of an invention which bears a title containing the emblem.
- (2) If any question arises before a competent authority whether any emblem is an emblem specified in the Schedule or a colourable imitation thereof, the competent authority shall refer the question to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final.

General powers of State Government to regulate use of emblem

- 6. (1) The State Government may make such provision by rules as appears to it to be necessary, to regulate the use of the emblem in official seal that is used in offices of the State Government its organisations including diplomatic missions abroad, subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.
- (2) Subject to the provisions of this Act, the State Government shall have power,-
 - (a) to notify the use of emblem on stationery, the method of printing or embossing it on demi-official stationery by the constitutional authorities, Ministers, Members of the Uttar Pradesh Legislative Council, Members of the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the officers of the State Government;
 - (b) to specify the design of the official seal consisting of the emblem;
 - (c) to restrict the display of emblem on vehicles of constitutional authorities, foreign dignitaries, Ministers of the State Governments;
 - (d) to provide the guidelines for display of emblem on public buildings in State, the diplomatic missions and on the buildings occupied by State Government;
 - (e) to specify the conditions for the use of emblem for various other purposes including the use for educational purposes and the Police forces personnel;
 - (f) to do all such things (including the specification of design of the emblem and its use in the manner whatsoever) as the State Government considers necessary or expedient for the exercise of the foregoing powers.

- 7. (1) Any person who contravenes the provisions of section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, or if having been previously convicted of an offence under this section, is again convicted of any such offence, he shall be punishable for the second and for every subsequent offence with imprisonment for a term which shall not be less than six months, which may extend to two years and with fine which may extend to five thousand rupees.
- (2) Any person who contravenes the provision of section 4 for any wrongful gain shall be punishable for such offence with imprisonment for a term which shall not be less than six months, which may extend to two years and with fine which may extend to five thousand rupees.

Previous sanction for prosecution

8. No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted, except with the previous sanction of the State Government or of any officer authorised in this behalf by general or special order of the State Government.

Savings

9. Nothing in this Act shall exempt any person from any suit or other proceedings which might be brought against him under any other law for the time being in force.

Act to have overriding effect

10. The provision of this Act or any rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument having effect by virtue of such enactment.

Power to make

- 11. (1) The State Government may, by notification in the Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) cases and conditions regulating the use of the emblem under section 4;
 - (b) making rules to regulate the use of the emblem in official seal of the State Government and specifying restrictions and conditions relating thereto under sub-section (1) of section 6;
 - (c) the use of emblem on stationery, design of official seal consisting of emblem and other matters under sub-section (2) of section 6;
 - (d) authorising an officer by general or special order for giving previous sanction for instituting prosecution under section 8; and
 - (e) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.
- 12. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, for removing such difficulty, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

Power to remove difficulties

- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the date of commencement of this Act.
- (3) Every order made under sub-section (1) shall be laid before each house of the State legislature.

THE SCHEDULE

[See section 2(b)]

EMBLEM OF THE STATE OF UTTAR PRADESH DESCRIPTION AND DESIGN

The State Emblem of UTTAR PRADESH is consists of a circular seal depicting the confluence of the <u>Ganges</u> and <u>Yamuna</u> rivers at <u>Prayagraj</u>, a pair of <u>Matsya</u> fish to represent the former Muslim rulers of <u>Oudh</u> and a bow and arrow to represent the Hindu deity <u>Rama</u> who was born in <u>Ayodhya</u> within the State. The legend around the seal translates as "Government of Uttar Pradesh".

The Emblem of the State of Uttar Pradesh shall conform to the designs as set out in Appendix 1 or Appendix 11.

Law Trend

Appendix I



Law Trend

Appendix II



STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The use of State Emblem on any letter pad, visiting card etc. denotes the pride & authority of the State Government. Although it is improper to use the State Emblem without the authorisation of the State Government, but due to the absence of any law of the State in this regard, the unauthorised use of State Emblem does not come in the category of punishable offence.

It has, therefore, been decided to make a law to regulate the use of State Emblem in the State of Uttar Pradesh in the light of the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 (Act no. 50 of 2005).

The Uttar Pradesh State Emblem (Prohibition of Improper Use) Bill, 2019 is introduced accordingly.

By order, J.P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 193 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(573)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 70 सा० विधायी-2019-(574)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।